

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़वण्डर सीमेंट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी बनाम किशनलाल वगैराह

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 89 (2) एवं (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र (रे.वि.) नं० 020 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी ने आदेशिका पर NOT PRESS अंकित कर निवेदन किया कि प्रार्थी कंपनी अपना प्रा०पत्र नहीं चलना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिलवाया जावे। वकील अप्रार्थी हाजिर। हाजिर वकील अप्रार्थी ने नोट प्रेस किये जाने बाबत कोई उज्र नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस बाबत कार्यवाही विद्वा का चिंतन-मनन किया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलना चाहती है ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 89 (2) व (4) LR ACT 1956 को विद्वा में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>-S/d- (पीयूष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 25.07.2023</p>	

